न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–239/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00268)

1. रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री बिरदा,
2. सीताराम पुत्र स्व0 श्री बिरदा,
3. शंकर पुत्र स्व0 श्री बिरदा,
4. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री बिरदा,
5. मूलचन्द पुत्र स्व0 श्री बिरदा,
6. रामसुख पुत्र स्व0 बिरदा, समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम पापड़, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामनाथ पुत्र श्री गोदू, जाति मीना, निवासी ग्राम पापड़, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. लालाराम पुत्र स्व. गोविन्दा, जाति मीना, निवासी ग्राम पापड़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर हाल निवासी पापड़ वालों की ढाणी हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. फेलीराम पुत्र स्व0 गोविन्दा,
4. जन्सी पुत्र स्व0 गोपाल,
5. रामनारायण पुत्र स्व. श्री गोपाल,
6. कजोड़ पुत्र स्व. श्री जगदीश,
7. कृष्ण पुत्र स्व. श्री रामकरण, समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम पापड़, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. तहसीलदार जमवारामगढ जरिये राज्य सरकार।
9. उप पंजीयक जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 13.02.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2017 (प्रकरण संख्या 117/16) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नही किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण हाल अपीलान्ट के पिता के हक में नियमन आदेश

रेस्पोडेन्ट को नही था, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि–विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर भी कतई गौर नही किया कि अपीलान्ट के पिता बिरदा के हक में जो राजस्व रिकार्ड, गिरदावरी सम्वत् 2036 से 2049 बदस्तुर कब्जे का प्रमाण एवं लम्बे कब्जे के आधार पर भूमि का नियमन किया था जिससे स्पष्ट था कि उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार से सम्बन्ध व सरोकार नही था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि–विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सम्वत् 2002 मे दर्ज अंकित किया गया था यानि रेस्पोडेन्ट ने 16 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो बिना किसी ठोस कारण के उक्त अपील को समयावधि में मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर भी गौर नही किया कि अपीलान्ट्स को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में नियमन व आवंटन के प्रावधानों के अनुसार भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर भूमि का नियमन कराकर अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमन के आधार पर दर्ज किया गया है ऐसे में बिना नियमन को चुनौती दिये, नियमन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को चुनौती दी है, जो किसी भी प्रकार से विधि संगत नही थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है, जो पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेज, खसरा गिरदावरी, नियमन व अपीलान्ट के बिल आदि का अवलोकन किये एवं बिना उन्हे पत्रावली पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, बिना उनको गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अपूर्ण निर्णय की श्रेणी में आता है ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह विधिक बिन्दू अंकित किया था कि नामान्तरकरण सरसरी प्रोसिडिन्ग है जिसके आधार पर किसी के कब्जे या अन्य किसी विधिक बिन्दू पर निर्णय नही किया जा सकता, पत्रावली पर उपलब्ध

व अंकित किया है वही सही है, इस कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुय अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण को निरस्त कर जो निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के निर्णय का हवाला देकर उससे प्रभावित होने का तथ्य अंकित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर नही किया कि अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण दिनांक 03.09.2002 का है जबकि अब्दुल रहमान बनाम स्टेट 2005 में पारित किया गया था, ऐसे में उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा यह नजीर चस्पा नही होती इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसको बेस मानकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय में उक्त अपीलाधीन भूमि को गैर मुमकिन नाले की भूमि मानते हुए निर्णय पारित किया है जबकि मौके पर किसी प्रकार का नाला या जलभराव क्षेत्र नही है, साथ ही यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि एकीकरण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में उक्त भूमि गै0मु0 नाला दर्ज नही है इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर नही किया कि अपीलान्ट्स को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं लैण्ड रेवन्यू एक्ट में नियमन व आवंटन के प्रावधानों के अनुसार भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर भूमि का नियमन कराकर अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमन के आधार पर दर्ज किया गया है। ऐसे में बिना नियमन को चुनौती दिये नियमन के आधार पर नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है जो किसी प्रकार से विधि संगत नही थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है जो पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06. 2017 खारिज फरमावे एवं नामान्तरकरण संख्या 425 दिनांक 03.09.2002 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय था, रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्ट स्व. गोदू के उत्तराधिकार है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने वारिसान की जॉच किये बिना ही

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने नामान्तरकरण मात्र बिरदा के पक्ष में ही दर्ज दिया जो अनुचित था व निरस्त किये जाने योग्य था। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के पिता एवं दादा स्व. गोदू से प्राप्त पैतृक काबिज़ भूमि जिसका खसरा नम्बर 333 रकबा 4 बीधा जिसका पुराना खसरा नम्बर 158 व नया खसरा नम्बर 428 रकबा 0.01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 429 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम पापड जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी है जो कि गैर खातेदारी एवं चाही तृतीय किस्म की भूमि है, उक्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से ही पूर्व से रेस्पोडेन्ट्स एवं अपीलान्ट के पूर्वज स्व. गोदू के जीवनकाल से ही संयुक्त हिन्दू परिवार में रहते हुए कृषि करते आ रही है एवं पक्के मकान बनाकर अपने पशुओं के लिए बाडा बनाकर रहते आ रही है, रेस्पोडेन्ट्स के पिता व दादा स्व. गोदू के चार पुत्र थे जिनमें से गोविन्दा, रघुनाथ के फौत हो जाने पर अपीलान्ट्स के पिता ही परिवार में सबसे बड़े व कर्ता–धर्ता थे जिसका फायदा उठाकर अपीलान्ट के पिता ने विवादित भूमि का नियमन कराकर खसरा नम्बर 333 रकबा 158 बीघा में से 4 बीधा की गैर खातेदारी अपने नाम करवा ली जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 428 व 429 है जबकि कानूनन रूप से स्व. गोदू की भूमि उसके चार पुत्र व उनके वारिसान 1/4–1/4 बराबर हिस्सों में काबिज काश्त करते आ रहे है परन्तु अपीलान्ट के पिता ने गैर कानूनी रूप से उक्त तय विवादित भूमि अपने नाम नियमन द्वारा गैर खातेदारी दर्ज करवा कर नामान्तरकरण खुलवा लिया एवं अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी दर्ज नही करवायी गयी, अपीलान्ट्स के पिता ने गैर कानूनी रूप से उक्त विवादित भूमि अपने नाम नियमन द्वारा गैर खातेदारी दर्ज करवा कर नामान्तरकरण खुलवा लिया एवं रेस्पोडेन्ट्स के नाम गैर खातेदारी दर्ज नही करवायी गयी, अपीलान्ट के पिता गैर कानूनी रूप से दर्ज होने के कारण अवैधानिक रूप से विवादित भूमि को खूर्द बुर्द करने पर आमादा थे एवं रेस्पोडेन्ट की कब्जे की भूमि को खाली कराने पर आमादा है। उन्होने आगे कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के निर्णय से उक्त विवादित भूमि प्रभावित है, विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 नाला है व अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय अनुसार नदी, नाला, लेक, झील, तालाब, पोखर, बावडी इत्यादि की भूमि का नामान्तरकरण नियमन, पट्टा किसी व्यक्ति, संस्था के नाम नही किया जा सकेगा, उक्त प्रकरण गै.मु. नाला की भूमि का नियमन किया गया व नामान्तरकरण खोला गया है, जानकारी के आधार पर अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस

हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरा गया है जिसके कॉलम संख्या 5 एवं 12 में भूमि की किस्म गैर0 मु0 नाला अंकित है तथा नामान्तरकरण पर गिरदावर हल्का द्वारा भी भूमि गै0मु0 नाला के सम्बन्ध में तहसीलदार से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लगान अंकित करने की रिपोर्ट अंकित की गई है तत्पश्चात् तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 03.09.2002 को स्वीकार किया गया है चूँकि उक्त नामान्तरकरण आवंटन की आदेश की पालना है स्वीकार किया गया तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उक्त आवंटन आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज अथवा प्रभाव शून्य घोषित किया गया हो जिससे जाहिर होता है कि उक्त आवंटन वर्तमान में प्रभावी एवं प्रचलन में है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश की पालना में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को खारिज किये जाने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2017 द्वारा नामान्तरकरण खारिज किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पाऱित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2017 को खारिज किया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या 425 ग्राम पापड़ पर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2002 को बहाल किया जाता है। चूँकि नामान्तरकरण संख्या 425 के कॉलम संख्या 5 एवं 12 में उक्त आराजी नाला अंकित है ऐसी स्थिति में तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि एक माह के अन्दर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति का विस्तृत जॉच की जावे तथा यदि उक्त आराजी की किस्म नदी, नाला साबित होने पर वादग्रस्त आराजी के आवंटन को निरस्त कराने बाबत सक्षम न्यायालय में रैफरेन्श पेश कर आवंटन निरस्त कराने की प्रभाव पैरवी भी सुनिश्चित करे तथा अपील/निगरानी की मियाद की अवधि तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश भी दिये जाते है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों के साथ–साथ जिला कलक्टर जयपुर को भी अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.02..2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।